



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231240
CG-DL-E-18112021-231240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4408]
No. 4408]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2021

का.आ. 4774(अ).—यतः, मै. ब्लूस्टार रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ने केरल राज्य के गाँव श्रीक्काकारा नॉर्थ, कालामससेरी, अर्णाकुलम जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 681 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2010 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 28.329 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. ब्लूस्टार रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 28.329 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है,

और यतः, केरल सरकार ने उनके पत्र स. जे2/74/2021-आईएनडी दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है, इस शर्त के अधीन कि अनधिसूचित भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 28.329 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. फ.1/2/2010-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2021

S.O. 4774(E).— WHEREAS, M/s. Bluestar Realtors Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Thrikkakara North Village, Kalamassery, Ernakulam District, in the State of Kerala;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 28.329 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 681(E) dated 23rd, March, 2010;

AND, WHEREAS, M/s. Bluestar Realtors Private Limited has now proposed to de-notify entire area of 28.329 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Kerala has given No Objection Certificate to the proposal vide Letter No. J2/74/2021-IND dated 5th October, 2021 subject to the condition that the de-notified land shall only be used for industrial purposes;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 28.329 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/2/2010-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.